न्यायालय मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर), धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– नेहा गिरि, जिला कलक्टर, धौलपुर

विविध प्रार्थना–पत्र (मुकदमा नम्बर) :– 39/2019 (RCMS No.:- 2019/00063)

उनवानी प्रकरण :–

1. श्री किशोर चिलाना एल0डी0एम0 पंजाब नेशनल बैंक शाखा धौलपुर।

——————————— प्रार्थी।

बनाम

1. श्री रमाकांत / पुत्रगण रामजीलाल शर्मा जातिगण ब्राह्मण निवासीगण आदनपुर
2. श्री गोपाल / (अधन्नपुर) पोस्ट विरोधा तहसील व जिला धौलपुर।
3. श्री मुन्नालाल /
4. श्री प्रमोद /

——————————— अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से :– प्रार्थी स्वयं
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 4 की ओर से :– श्री रमाकांत शर्मा अभिभाषक
3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से :– स्वयं अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः–05.09.2019

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी अप्रार्थीगण को 12,50,000/– रूपये मात्र का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैः– 1. रहवासी मकान पट्टा नं0 42, गांव आदनपुर *(अधन्नपुर)* धौलपुर कुल क्षेत्र 124.90 वर्ग गज, जो कि ऋणी श्री रमाकांत के नाम से है। 2. रहवासी मकान पट्टा नं0 43, गांव आदनपुर*(अधन्नपुर)* धौलपुर कुल क्षेत्र 124.90 वर्ग गज, जो कि ऋणी श्री गोपाल शर्मा के नाम से है।, 3. रहवासी मकान पट्टा नं0 41, गांव आदनपुर *(अधन्नपुर)* धौलपुर कुल क्षेत्र 124.90 वर्ग गज, जो कि ऋणी श्री मुन्नालाल शर्मा के नाम से है। 4. रहवासी मकान पट्टा नं0 44, गांव

नेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

आदनपुर *(अधन्नपुर)* धौलपुर कुल क्षेत्र 99.55 वर्ग गज, जो कि ऋणी श्री प्रमोद शर्मा के नाम से है। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 31.03.2019 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। तथा दिनांक 15.04.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 11,99,266/– रूपये मात्र दिनांक 31.03.2019 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक ने अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं न्यायालय हाजिर आया। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 की ओर से अभिभाषक श्री रमाकांत शर्मा उपस्थित हुए। अभिभाषक ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उन्होनें प्रार्थी बैंक से लोन लिया था। परन्तु उन्हें एक रूपया भी नहीं दिया है बल्कि उनके भाई अप्राथी संख्या 2 की पत्नी मीरादेवी के नाम से लोन का खाता था उसमें उक्त लोन की राशि को प्रार्थी बैंक ने स्थानान्तरण कर दिया और उक्त मीरादेवी का पति समय समय पर उक्त खाते में राशि जमा कर रहा है, उनकी जानकारी में यह भी नहीं है कि कितनी राशि का लोन हुआ। उन्होंने अपने खाते के लोन की राशि मीरादेवी के खाते में ट्रांसफर करने के लिए भी लिखित में नहीं दिया है इस प्रकार उनके साथ बैंक मैनेजर ने धोखाधड़ी की है। उक्त समस्त तथ्यों की जाचकर कानूनी कार्यवाही की जावे व अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के मकान की नीलामी को रोके जाने तथा दोषियों को सजा दिलाये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ऋण राशि अप्रार्थीगण श्री रमाकांत शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा ग्राम अधन्नपुर धौलपुर, श्री मुन्नालाल शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा ग्रान अधन्नपुर धौलपुर, श्री गोपाल शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा ग्राम अधन्नपुर धौलपुर, श्री प्रमोद शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा ग्राम अधन्नपुर धौलपुर को स्वीकृत की गई थी तथा अप्रार्थीगण की सहमति से राशि श्री गोपाल शर्मा के खाता संख्या 2504000100281676 में दिनांक 12.12.2017 को अन्तरित कर दी गई। साक्ष्य हेतु डेबिट वाउचर की प्रति संलग्न है जिस पर अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर हो रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की राशि नियमानुसार जमा नहीं की गई। जिस कारण खाता 0138000930043663 अनिष्पादित अस्ति में वर्गीकृत हो गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मनगढ़त एवं सारहीन है जो कि निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। तथा सराफेशी एक्ट के तहत कब्जा हेतु अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी एल0डी0एम0 पी0एन0बी0 धौलपुर ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थीगण को 12,50,000/– रूपये का ऋणी स्वीकृत किया गया था। जिसके प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थीगण के आवासीय भूखण्ड रहन रखे गये। स्वीकृत ऋण

नेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

राशि अप्रार्थीगण की सहमति से अप्रार्थी संख्या 2 श्री गोपाल शर्मा के खाते में जमा कराई गई। बतौरा साक्ष्य जमा वाउचर की प्रति संलग्न है जिस पर अप्रार्थीगण के सहमति हस्ताक्षर हो रहे है।

अप्रार्थी संख्या 2 गोपाल द्वारा उक्त राशि अपनी पत्नी मीरादेवी के खाते में जमा कराई। बैंक द्वारा ऋण राशि वसूली हेतु अप्रार्थीगण को कई बार तकादा किया गया। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा कोई राशि नहीं चुकाई गई। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी कर 60 दिवस में राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु अप्रार्थीगण 60 दिन में उक्त राशि जमा कराने में असफल रहे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण चुकता करने में हो रही असमर्थता के सम्बन्ध में कोई सम्पर्क नहीं किया ना ही इस सम्बन्ध में बतौर साक्ष्य कोई दस्तावेज प्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रकार अप्रार्थीगण ऋण राशि मय ब्याज चुकता करने में असफल रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी से लोन लिया था, परन्तु एक रूपया नहीं मिला है। स्वीकृत ऋण राशि अप्रार्थी संख्या 2 की पत्नी मीरा के नाम लोन का खाता था उसमें उस लोन की राशि स्थानान्तरित कर दी। मीरादेवी का पति अप्रार्थी संख्या 2 समय-समय पर उक्त खाते में राशि जमा करा रहा है। अप्रार्थी यह भी नहीं जानते कितनी ऋण राशि स्वीकृत हुई थी। अप्रार्थीगण कृषक है। जो खेती काश्त पर निर्भर है। फसल आने पर ऋण राशि जमा करा देंगे। अतः अप्रार्थीगण को ऋण राशि जमा कराये जाने हेतु 2 माह का समय दिया जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को 12,50,000/- रूपये ऋण स्वीकृत किया जाकर अप्रार्थीगण की सहमति से अप्रार्थी संख्या 2 के खाते में जमा कराया था, जिसकी पुष्टि डेबिट वाउचर से होती है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण राशि जमा कराये जाने हेतु समय-समय पर कहा गया। उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नोटिस दिये गये, किन्तु अप्रार्थीगण ने ऋण राशि जमा नहीं कराई। ना ही अप्रार्थीगण ने इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी बैंक को अवगत कराया, ना ही ऋण राशि जमा कराने में असफल रहने के कारणों से बैंक के समक्ष उपस्थित हुए, ना ही कोई साक्ष्य / दस्तावेज बैंक के समक्ष प्रस्तुत किये और ना ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किये। इससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण ऋण राशि मय ब्याज जमा कराने में अनावश्यक विलम्ब उत्पन्न कर रहे है।

अतः The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पत्ति 1. रहवासी मकान पट्टा नं0 42, गांव आदनपुर (अधन्नपुर) धौलपुर कुल क्षेत्र 124.90 वर्ग गज, जो कि ऋणी श्री रमाकांत के नाम से है। 2. रहवासी मकान पट्टा नं0 43, गांव आदनपुर(अधन्नपुर)

नेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

धौलपुर कुल क्षेत्र 124.90 वर्ग गज, जो कि ऋणी श्री गोपाल शर्मा के नाम से है।, 3. रहवासी मकान पट्टा नं0 41, गांव आदनपुर (अधन्नपुर) धौलपुर कुल क्षेत्र 124.90 वर्ग गज, जो कि ऋणी श्री मुन्नालाल शर्मा के नाम से है।, 4. रहवासी मकान पट्टा नं0 44, गांव आदनपुर (अधन्नपुर) धौलपुर कुल क्षेत्र 99.55 वर्ग गज, जो कि ऋणी श्री प्रमोद शर्मा के नाम से है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)